



प्रेषक,

राज्यपाल / कुलाधिपति के सचिव,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवामें,

कुलसचिव,  
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड  
महोदय,

देहरादून दिनांक: 10 अक्टूबर 2013

कुमाऊँ विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विभिन्न बी०एड० संस्थानों द्वारा अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिकायें दायर की गयी हैं, जिनमें कतिपय संस्थानों को बिना विलम्ब के अस्थायी (provisional) सम्बद्धता प्रदान किये जाने के अन्तर्निहित आदेश दिनांक 10.07.2013, 11.07.2013, 18.07.2013, 30.07.2013, 06.08.2013 तथा 04.09.2013 को मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 12-09-2013 एवं पत्र दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति के आलोक में मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप प्रश्नगत निम्नांकित संस्थानों को शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है, जो कि प्रकरणों में मा० उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी। तत्क्रम में कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय से प्राप्त संस्तुति के क्रम में आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37(2) के अधीन निम्नांकित संस्थान/कालेज को स्तम्भ-3 में वर्णित पाठ्यक्रम में स्तम्भ-4 पर वर्णित अवधि के लिये अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी है :-

क्र०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4
1.	ट्रिनिटी इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। रिटयाचिका सं० 1191 एम०एस० आफ 2013	बी०एड० (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
2.	स्वामी विवेकानन्द प्राइवेट कालेज आफ मैनेजमेन्ट। याचिका 1206 एम०एस० आफ 2013	बी०एड० (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
3.	जय अरिहन्त कालेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, हल्द्वीचौड़। याचिका 1190 एम०एस० आफ 2013	बी०एड० (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
4.	जय अरिहन्त एकेडमिक इन्स्टीट्यूट, हल्द्वीचौड़। रिट याचिका 1189 एम०एस० आफ 2013	बी०एड० (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
5.	बजाज कालेज आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैयनोलाजी। याचिका 1192 एमएस आफ 2013	बी०एड० (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
6.	पूर्णागिरी कालेज आफ एजुकेशन, खटीमा। याचिका 1197 एमएस आफ 2013	बी०एड० (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
7.	आर०एल०एस० मेमोरियल डिग्री कालेज, जसपुर, ऊधमगरोहनगर। याचिका 1196 एम०एस० आफ 2013	बी०एड० (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
8.	हरदेव सिंह स्मारक कालेज, जसपुर, उधमसिंहनगर। याचिका 1195 एम०एस० आफ 2013	बी०एड० (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
9.	श्रीराम इन्स्टीट्यूट मैनेजमेन्ट एण्ड टैयनोलाजी, काशीपुर। याचिका सं० 1194 एमएस आफ 2013	बी०एड० (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु

125/136

10.	श्री सोई शिक्षण संस्थान, जसपुर, उधमसिंहनगर। याचिका 1193 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
11.	द्रोण बी0एड0 कालेज फार वुमैन, दिनेशपुर, रुद्रपुर। याचिका 1199 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
12.	द्रोण बी0एड0 कालेज, दिनेशपुर, रुद्रपुर। रिट याचिका 1198 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
13.	आप्रपाली इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स, शिक्षा नगर, हल्द्वानी। रिट याचिका 1212 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
14.	प्रेजेन्टेशन कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, काठगोदाम (हल्द्वानी) रिट याचिका 1238 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
15.	जे0एन0 काल इन्स्टीट्यूट आफ एजुकेशन, नैनीताल। रिट याचिका 1237 एमएस आफ 2013	बी0एड0 (60 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
16.	एल0बी0एस0एस0 कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जसपुर। रिट याचिका 1243 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
17.	मरियम इन्स्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज एण्ड एप्लाइड कोर्सेस, बरेली रोड, हल्द्वानी। रिट याचिका 1239 एमएस आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
18.	एलकॉमिस्ट इन्स्टीट्यूट आफ एजुकेशन। रिट याचिका 1244 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
19.	इन्स्पेरेशन कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, पॉलीशीट, काठगोदाम, नैनीताल। रिट याचिका 1240 एमएस आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
20.	देवभूमि कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमैन, कच्ची खमरिया, पो0 लालपुर, रुद्रपुर। रिट याचिका 1262 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
21.	देवभूमि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कच्ची खमरिया, पो0 लालपुर, रुद्रपुर। रिट याचिका 1261 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
22.	देवभूमि कॉलेज ऑफ एजुकेशन यूनाभट्टा रोड, बनबसा, घासावता। रिट याचिका 1260 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु

23.	सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नॉलॉजी रुद्रपुर रिट याचिका 1264 एम0एस0 आफ 2013।	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
24.	डा० सुशीला तिवारी प्राइवेट बी0एड0 कालेज सितारगंज, उधमसिंहनगर। रिट याचिका 1270एमएस आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
25.	श्री गुरुनानक डिग्री कालेज। रिट याचिका 1300 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
26.	काशीपुर कालेज ऑफ एजुकेशन। रिट याचिका 1625 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
27.	केशव सूर्यमुखी कालेज आफ एजुकेशन। रिट याचिका 1626 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
28.	शहीद कै० डी०के० खाला कालेज आफ एजुकेशन। रिट याचिका 1624 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
29.	सल्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट बनाम राज्य एवं अन्य। रिट याचिका 1741 (M/S) of 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
30.	श्री गुरुनानक प्रा० कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नानकमत्ता याचिका सं० 1740 एमएस ऑफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
31.	सूरजमल अग्रवाल प्रा० कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किच्छा याचिका सं० 1739 एमएस ऑफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
32.	चन्द्रावती तिवारी मल्लः डिग्री कालेज, काशीपुर याचिका सं० 1742 एमएस ऑफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु

- 1- उक्त संस्थानों को एतद्वारा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता सम्बन्धित संस्थान द्वारा मा० उच्च न्यायालय में योजित याचिकाओं में अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
- 2- इसी मध्य सभी प्रकरणों का पृथक से परीक्षण किया जायेगा तथा भावी अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में निर्णय या कार्यवाही उसी आधार पर सुनिश्चित की जायेगी।
- 3- निर्धारित मानकों की पूर्ति व अर्ह फैंकल्टी की सुनिश्चितता के सम्बन्ध में कुमाऊँ विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थानों का अपने स्तर से समय-समय पर अनिवार्यतः निरीक्षण किया जाता रहेगा। यदि संस्थानों के मानकों का पूर्ण न होना पाया जाता है तो ऐसे संस्थानों की मान्यता समाप्त किये जाने के लिये संस्तुति/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो शासन द्वारा सम्बन्धित कार्मिक/समक्ष अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
- 3- संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संचालित पाठ्यक्रम, अवस्थापना सुविधाएँ, शैक्षिक-शिक्षणोत्तर, फैंकल्टी की शैक्षिक अर्हता, उत्तीर्ण परीक्षाफल एवं प्राप्तांक प्रतिशत, फैंकल्टी अंकपत्रों की प्रतियाँ, फैंकल्टी की अद्यतन फोटो सहित फैंकल्टी को मासिक वेतन भुगतान का विवरण अपलोड किया जायेगा।
- 4- यदि किसी भी स्तर पर शासन के संज्ञान में आता है कि उक्त संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम की सम्बद्धता की संस्तुति तथ्यों को छुपाते हुए प्रस्तावक द्वारा की गई है तो इसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित/निरीक्षण दल/संस्थान का होगा तथा संस्थान की सम्बद्धता समाप्त किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 5- सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व संस्थान/कालेज को अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों को पुष्टि का एक प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा, तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।